

संख्या : 124२/१-१०-२०१३-३३(३८५) / २०११

प्रेषक,

एल० वेंकटेश्वरलू
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में

जिलाधिकारी,
सिद्धार्थनगर ।

ਲਖਨਾਤੁ : ਦਿਨੋਕ : 21 ਮਾਰਚ, 2013

राजस्थ अनुगाम १०
विषयः वर्ष 2010-11 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना मद में अवशेष धनराशि का वित्तीय वर्ष 2012-13 में धनावंटन।

महोदय,

महापौ, उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-409 / राहत लिपिक-1583 / 2012-13
दिनांक-28 फरवरी, 2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष
2010-11 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना मद
में मांगी गयी धनराशि रु0 4,13,70,000/- के परिपेक्ष्य में 50 प्रतिशत धनराशि के
रूप में शासनादेश संख्या-2548 / 1-10 -2012-33(385) / 2011, दिनांक 15.10.
2012 द्वारा रु0 2,06,85,000/- की धनराशि स्वीकृत/निर्गत की गयी थी। उक्त
के अनुक्रम में ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के 09 कार्यों के लिए अवशेष धनराशि
रु0 1,61,89,000/- एवं सिचाई निर्माण खण्ड सिद्धार्थनगर के 01 कार्य के लिए
अवशेष धनराशि रु0 44,96,000/- अर्थात् वित्तीय वर्ष 2012-13 में निम्नलिखित
शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवशेष धनराशि कुल धनराशि रु0 2,06,85,000/-
(रुपये दो करोड़ छ: लाख पच्चासी हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखने की श्री
राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

राज्यपाल नहादव राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय' फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय' के नामे डाला जायेगा।

3. बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आगामी वर्ष के पूर्व

पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना/मरम्मत मद में धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। प्रकरण से सम्बन्धित परियोजनाओं के लिए आंवटित/अवमुक्त धनराशि जो कि समर्पित कर दिया जाना बताया गया है के संबंध में कोषागार से धनराशि आहरित न होने संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये उक्त स्वीकृत धनराशि व्यय की जायेगी। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी परियोजना हेतु कदापि न किया जाय।

4. उक्त धनराशि का व्यय शा०प०सं०-७८ / पी०ए०आ०२० / २०१२, दिनांक
२४.०१.२०१२ के साथ संलग्न पत्र संख्या-३२-७ / २०११-NDM-१, दिनांक १६.०१.
२०१२ में भारत सरकार की गाइड लाइंस में निर्धारित एवं अह मानक मदों एवं
शासनादेश सं० २७८५ / १-१०-२०११-१२(७३) / २००८, दिनांक १४.१०.२०११,
शासनादेश सं० १३४९ / १-१०-२०१२-१२(७३) / २००८, दिनांक १७.०५.२०१२ के
अनुसार किया जायेगा।

5. बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचा/अधिसंरचना के तात्कालिक प्रकृति के मरम्मत/पुनर्निर्माण की उक्त परियोजनाओं को तात्कालिक रूप में ससमय पूर्ण कर लिया जाय। राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जायेगा।

6. उपरोक्त परियोजनाओं के कार्य मानक एवं गुणवत्तापूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए कार्य की समय-समय पर वीडियोग्राफी / फोटोग्राफी भी करायी जाय तथा उनकी प्रति सीडी शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जाय।


7. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या रथानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना तथा वित्तीय नियमों के अन्तर्गत धनराशि निर्गत करना

जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः राज्य आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाय।

8. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा—जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या—1693 / 1-11-2005—रा०-११, दिनॉक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते संभावित हों तो उन्हें अविलम्ब / 31 मार्च, 2013 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाय।

9. उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण—पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड—5 भाग—1 के प्रस्तर—369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या—42 आई में शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय।

10. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय

(एल० वेंकटेश्वरलू)
सचिव एवं राहत आयुक्त

संख्या : १९५२८/ १-१०-२०१२-३३(३८५) / २०११, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1— महालेखाकार—प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र०, इलाहाबाद
- 2— आयुक्त, बस्ती मंडल, बस्ती/प्रमुख सचिव, सिंचाई विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ०प्र० शासन/प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ०प्र० लखनऊ/निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग उ०प्र० लखनऊ।
- 3— आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4— वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु।
- ✓5— वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ०प्र०।
- 6— मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, सिद्धार्थनगर।

- 7— वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग-5।
- 8— समीक्षा अधिकारी (लेखा) / समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10 / राजस्व अनुभाग-6/11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 9— निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व विभाग।
- 10— गार्ड फाइल।

आश्रम क्लै
(विनोद कुमार शर्मा)
अनु सचिव।